

REFERENCE TO ARRANGEMENT FOR SIMULTANEOUS TRANSLATION

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Sir, on a point of order. I understand that the Lok Sabha has already adopted the system of simultaneous translation from different languages into English and *vice versa*. And of course, it has also been suggested there that the languages which are not yet considered for translation should also be translated. What I am submitting to you is...

MR. CHAIRMAN : Let me please deal with this first.

SHRI A. P. CHATTERJEE : It is a point of order, it is a question of procedure of the House. This system has been introduced in the Lok Sabha and it may also be introduced here, the simultaneous translation. And I would also ask you to go into whether languages like the Bengali and others which have been left out in the Lok Sabha may not also come within the system of simultaneous translation so that we can express our feelings better.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : Sir, I support the contention of Mr. Chatterjee. It is very important and this system of simultaneous translation which has been adopted by the Lok Sabha should be introduced here. It should be done here also.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : I have a submission to make. It has to be explained by some authorities especially the Ministry of Parliamentary Affairs, why, when the arrangement has been made in the other House, it has not been made in this House. After all when you make this arrangement there it should not be very difficult to make that arrangement here also. Besides, we speak in our mother-tongue, many will not be able to understand each other for the time being, but it will be very good.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : There was an occasion when in this House Mr. Chandrasekharan of the S. S. P. had spoken in Malayalam. At that time the understanding was that the simultaneous translation system would be introduced in this House also.

MR. CHAIRMAN : So far as Mr. Bhandari is concerned, I understand that it is the same Notification. It is not diffe-

rent. There are no two different Notifications. I have already...

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : May I ask the Government to explain ?

MR. CHAIRMAN : I have gone through it carefully.

(Shri Rajnarain rose)

When I am standing, you should not rise.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मिसेज आल्वा न बनिये। आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में आप पहले सुन तो लीजिये।

श्री सभापति : पहले मैं खत्म कर लूँ तब मैं आपकी बात सुनूँगा। मैंने आपको बड़ गौर से जो कुछ आपने कहा सुना। मैं इसके मुताल्लिक पहले ही कह चुका हूँ कि क्या होना चाहिये। मैं इस चीज को फिर देखूँगा और पुछूँगा और जो कुछ मैं पहले कह चुका हूँ उस पर अमल किया जाय।

I will bear in mind what has been said about simultaneous translation. I will consult the Government and I will see what can be done.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपने जो पालिसी के बारे में कह दिया है, उतना कहना काफी नहीं है बल्कि करना काफी है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि यहां पर जो अधिसूचना दी गई है वह किस तरह से दी गई है वह मैं बतलाना चाहता हूँ। नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन नारियल जटा उद्योग (संशोधन) नियम, 1969 को प्रकाशित करने वाली अधिसूचना एस० ओ० नं० 2983 (अंग्रेजी में) और एस० ओ० नं० 2985 (हिन्दी में)। तो इस तरह से जो ये दो नं० दिये हैं 2983 और 2985 ये अलग अलग नम्बर हैं और आपने यह कैसे कह दिया कि दोनों एक ही हैं।

श्री सभापति : मैं इस चीज को अच्छी तरह से देखूंगा और जो कुछ मैंने कहा था उसके मुताबिक हुआ या नहीं। मगर इस वक्त मुझे बतलाया जा रहा है कि रूल्स वहीं हैं मगर नम्बर मुस्तलिफ है। फिर भी मैं इस चीज की अच्छी तरह से जांच करूंगा।

श्री राजनारायण : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चेयर के मुखारविन्द से ऐसा वाक्य न निकले जिस के अर्थ का अनर्थ हो जाय।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

1. THE WAKF (AMENDMENT) BILL, 1969.

2. THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL, 1969.

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :—

(1) "In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha at its sitting held on the 25th November, 1969, agreed without any amendment to the Wakf (Amendment) Bill, 1969, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 29th July, 1969."

(2) "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1969, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th November, 1969."

Sir, I lay the second Bill on the Table.

REFERENCE TO AN ALLEGED OMISION IN A. I. R. BROADCAST ON 26th NOVEMBER, 1969

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं आपका ध्यान नियमावली की धारा 241 की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री सभापति : किस चीज पर आप बोल रहे हैं ?

श्री राजनारायण : पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूँ, 241 देख लीजिए। 241 में हमको अधिकार है कि यदि हमारी अनुपस्थिति में कोई सदस्य या गवर्नमेंट कुछ कहे तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकें। गुजराल साहब ने कल हमारी अनुपस्थिति में कहा था कि राजनारायण ने जो कहा कि रेडियो पर लखनऊ प्रदर्शन का प्रसारण नहीं हुआ वह ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि एडीकेट कवरेज हुआ। मेरा कहना है कि उस एडीकेट कवरेज की पूरी की पूरी प्रति मंगा ली जाय। गुजराल साहब ने जो कहा वह ठीक नहीं है, एडीकेट कवरेज नहीं हुआ था। मूल प्रति मंगा कर देख लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : पिछले चार महीने की मंगा कर देखी जाय।

श्री सभापति : मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात आपने कही यह पहले मुझे लिख कर भेज देते तो मैं गवर्नमेंट से भी पूछता और अपनी भी राय देता . . .

श्री राजनारायण : आप कल पूछिये।

श्री सभापति : बोलने नहीं दोगे ? मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि जो रेडियो पर उसके मुताल्लिक, जैसा कि मिनिस्टर ने कहा है, प्रसारण हुए वे टेबल पर रखे जायें।

श्री ओम् मेहता (जम्मू और काश्मीर) : बहुत अच्छा।

श्री सभापति : आप मुझे पहले चेम्बर में लिख कर दे देते।

श्री राजनारायण : चेम्बर में क्यों ?
Public question must be dated publicly.